डिस्कलेमर

अंतरिम आदेश संख्या 03/2021-22 हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

आदेश संख्या 03/2021-22

ऐरा भवन,
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली – 110003

जारी करने की तारीख : 30 जून, 2021

सेवा: ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं
सेवा प्रदाता: बर्ड वर्ल्डवाइड फ्लाइट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
हवाईअड्डा: चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (सीसीएसआईए), लखनऊ

मैसर्स बर्ड वर्ल्डवाइड फ्लाइट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय (सीसीएसआईए) हवाईअड्डा, लखनऊ में 01.07.2021 से 31.12.2021 तक छ: माह की अवधि के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ के मामले में

चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (सीसीएसआईए), लखनऊ में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए अदानी लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (हवाईअड्डा प्रचालक) द्वारा प्रस्ताव के लिए अनुरोध चयन प्रक्रिया के माध्यम से मैसर्स बर्ड वर्ल्डवाइड फ्लाइट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बीडब्ल्यूएफएस) का 01 अप्रैल, 2021 से 5 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए चयन किया गया है। आरएफपी की अपेक्षाओं के अनुसार कोन्सोर्टियम के प्रमुख सदस्य के तौर पर मैसर्स बीडब्ल्यूएफएस सहित मैसर्स जीएसईसी बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (जीबीएएस) नामक विशेष प्रयोजनीय माध्यम (एसपीवी)को 20.03.2021 को सम्मिलित किया गया है।

2. मैसर्स बीडब्ल्यूएफएस ने कहा है कि एसपीवी ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रारंभ करने के लिए बीसीएएस की अनुमति की प्रतीक्षा कर रहा है, इसलिए, हवाईअड्डा प्रचालक मैसर्स एएलआईएएल ने दिनांक 30.04.2021 के आशय पत्र संख्या एएलआईएएल/सीओएमएम/जीएचएस/बीडब्ल्यूएफएस/02 द्वारा प्रमुख कोन्सोर्टियम सदस्य मैसर्स बीडब्लयूएफएस को बीसीएएस की अनुमति के साथ अंतरिम अवधि में आवश्यक ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रचालित करने के लिए प्राधिकृत किया है। चूंकि मैसर्स बीडब्ल्यूएफएस के पास लखनऊ हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए कोई अनुमोदित दर नहीं है, इसलिए उन्होंने अंतरिम अवधि के दौरान तदर्थ टैरिफ के लिए प्राधिकरण से संपर्क किया है।

3. एसपीवी मैसर्स जीबीएएस ने दिनांक 09 जून, 2021 को वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव (एटीपी) के साथ–साथ तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए अपना एमवाईटीपी प्राधिकरण को प्रस्तुत कर दिया है।

4. प्राधिकरण ने अनुरोध की जांच करके मैसर्स बीडब्ल्यूएफएस को सीसीएसआईए, लखनऊ में एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (पहले एआईएटीएसएल - देखें: दिनांक 14.02.2020 का आदेश संख्या 23/2019-20 और दिनांक 25.03.2021 का अंतरिम आदेश संख्या 67/2020-21) नामक अन्य ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाता के लिए यथा अनुमोदित मौजूदा टैरिफ 01.07.2021 से 31.12.2021 तक छ: (6) माह की अवधि या मैसर्स जीएसईसी बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एसपीवी) द्वारा प्रचालन प्रारंभ किए जाने तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर, वसूल करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। यदि मैसर्स जीएसईसी बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एसपीवी) अपनी नियमित टैरिफ के अनुमोदन से पूर्व प्रचालन शुरू करते हैं तो उन्हें प्रचालन प्रारंभ करने से पहले तदर्थ दरों का अनुमोदन लेना होगा।

<u>आदेश</u>

5. रिकॉर्डों में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि:-

(i) मैसर्स बर्ड वर्ल्डवाइड फ्लाइट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बीडब्ल्यूएफएस) को चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (सीसीएसआईए), लखनऊ में 01.07.2021 से 31.12.2021 तक की छ: (6) माह की अवधि या, मैसर्स जीएसईसी बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एसपीवी) द्वारा प्रचालन शुरू किए जाने तक, जो भी पहले हो, ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए संलग्नक -**I** में दिए गए टैरिफ कार्ड के अनुसार एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (पहले एआईएटीएसएल) नामक अन्य ग्रांउड हैंडलिंग सेवा प्रदाता के लिए यथानुमोदित मौजूदा टैरिफ, तदर्थ आधार पर, वसूल और संग्रहित करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) यदि एसपीवी अपनी नियमित टैरिफ के अनुमोदन से पहले प्रचालन शुरू करते हैं तो उन्हें प्रचालन प्रारंभ करने से पूर्व तदर्थ दरों का अनुमोदन लेना होगा ।

(iii) मैसर्स बीडब्ल्यूएफएस द्वारा नॉन शेड्यूल प्रचालनों के लिए वसूली गई टैरिफ ऐरा द्वारा 'समान श्रेणी के विमान' के शेड्यूल्ड प्रचालनों के लिए अनुमोदित टैरिफ से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iv) ऊपर बताए अनुसार अनुमोदित टैरिफ ग्राउंड हैंडलिंग सेवा के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ होगी। अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

(v) हवाईअड्डा प्रचालक आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवा में,

श्री संदीप जैन,
सीसीओ,
बर्ड वर्ल्डवाइड फ्लाइट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड.,
ई-9, कनॉट हाऊस, कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली- 110 001

प्रतिलिपि: सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003.